

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बनेडा, जिला भीलवाड़ा
(बईजलास श्री दिवांशु शर्मा आर. ए. एस.)

नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
में जारी

प्रकरण संख्या - 92/2020 प्रार्थनापत्र एलआर
दायर दिनांक - 24/7/2020
निर्णय दिनांक - 15/09/2020

अनवान

1. श्री गोपाल पिता शंकर पुरी गुसाई निवासी सुरजपुरा तह. बनेडा जिला भीलवाड़ा ।
2. श्री सुखदेव पिता शंकर पुरी गुसाई निवासी सुरजपुरा तह. बनेडा जिला भीलवाड़ा ।
3. श्री जगदीश पिता शंकर पुरी गुसाई निवासी सुरजपुरा तह. बनेडा जिला भीलवाड़ा ।
4. श्री उगमा पिता शंकर पुरी गुसाई निवासी सुरजपुरा तह. बनेडा जिला भीलवाड़ा ।
5. श्री हरफुल पिता शंकर पुरी गुसाई निवासी सुरजपुरा तह. बनेडा जिला भीलवाड़ा ।
6. श्री सुगनी बेवा शंकर पुरी गुसाई निवासी सुरजपुरा तह. बनेडा जिला भीलवाड़ा ।
7. श्री बालापुत्री पिता भैरुपुरी गुसाई निवासी सुरजपुरा तह. बनेडा जिला भीलवाड़ा ।
8. श्रीमती धनी पुत्री भैरु पुरी गुसाई निवासी सुरजपुरा तह. बनेडा जिला भीलवाड़ा ।
9. श्रीमती फुमा पुत्री भैरु पुरी गुसाई निवासी सुरजपुरा तह. बनेडा जिला भीलवाड़ा ।
10. श्रीमती सुडी पुत्री भैरु पुरी गुसाई निवासी सुरजपुरा तह. बनेडा जिला भीलवाड़ा ।

.....प्रार्थी गण

बनाम

1. श्री ईश्वर पिता रूघनाथ जाट निवासी सुरजपुरा तह. बनेडा जिला भीलवाड़ा ।
2. श्री सुखाबन पिता नन्दा बन निवासी सुरजपुरा तह. बनेडा जिला भीलवाड़ा ।
3. श्री हेमराज पिता लादु पुरी निवासी सुरजपुरा तह. बनेडा जिला भीलवाड़ा ।
4. श्री कैलाशपुरी पिता शम्भुपुरी गुसाई निवासी सुरजपुरा तह. बनेडा जिला भीलवाड़ा ।
5. श्री नारायण पिता धन्ना गुजर निवासी सुरजपुरा तह. बनेडा जिला भीलवाड़ा ।
6. श्री भंवर पिता बालु राव निवासी सुरजपुरा तह. बनेडा जिला भीलवाड़ा ।
7. श्री जगदीश पिता बालु राव निवासी सुरजपुरा तह. बनेडा जिला भीलवाड़ा ।
8. राजस्थान राज्य सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार साहब बनेडा जिला भीलवाड़ा ।

.... विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :- श्री कृष्णकुमार जीनगर वकील प्रार्थी

-:आदेश:-

दिनांक 15.09.2020

1. प्रार्थी द्वारा जरिये अधिवक्ता प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम दुदला पटवार हल्का बालेसरिया तहसील बनेडा जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी की भूमि की खाता संख्या 76 का आराजी संख्या 19 कुल कित्ता 1 रकबा 1-18 बीघा एवं खाता संख्या 77 का आराजी संख्या 16 रकबा 0-14 बीघा भूमि दर्ज रिकॉर्ड है जिसके कोई पुख्ता सीमाचिह्न नहीं होने की वजह से पड़ौसियान से अकसर विवाद होता रहता है। प्रार्थी ने पड़ौसान से अपनी आराजियात बाबत् पत्थरगढ़ी कराने के लिए कहा किन्तु उनके द्वारा इन्कार कर दिए जाने से यह प्रार्थनापत्र आप न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। अतः प्रार्थी की उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान किया जावे ।
2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये समन तलब किया गया । विपक्षीगण बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं । इसलिए इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश पारित किए गए ।
3. मामले मे प्रार्थी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन एवं मनन किया गया। प्रार्थी उक्त आदेश की चरण सं. 1 में वर्णित आराजियात का खातेदार काश्तकार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी बनेडा
जिला भीलवाड़ा राज.

-: आदेश:-

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षी स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम दुदला पटवार हल्का बालेसरिया तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा में प्रार्थी की खातेदारी की भूमि की खाता संख्या 76 का आराजी संख्या 19 कुल किता 1 रकबा 1-18 बीघा एवं खाता संख्या 77 का आराजी संख्या 16 रकबा 0-14 बीघा भूमि की पत्थरगढ़ी बसामलात समस्त पड़ोसान के किये जाने का आदेश पारित किया जाता है । उक्त आदेश की पालना में तहसीलदार बनेड़ा को 300/- रुपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिये जाते है कि पक्षकारान को पूर्व में सूचित कर उनकी उपस्थिति में पत्थरगढ़ी की जावे । कमिश्नर फीस प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी । आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार बनेड़ा को भिजवाई जावे । खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 15.09.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।



(दिवांशु शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा